

क्रमांक : F11(18)/RIPA/Exam/FC/Coop.Sub.Ser./II/2024/19045

दिनांक : 9/01/2025

कार्यालय-आदेश

दिनांक 21.01.2025 से 23.01.2025 की अवधि में राजस्थान राज्य सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान (राइसेम), जयपुर केन्द्र पर आयोजित की जाने वाली राजस्थान राज्य सहकारी अधीनस्थ सेवा के द्वितीय चरण के प्रशिक्षु अधिकारियों की आधारभूत परीक्षा में निम्न अधिकारियों को बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं परीक्षा के रोल नम्बर निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

रोल नम्बर	परीक्षार्थी का नाम
01	आकाश सिंह
02	आनंद कुमार
03	अभिषेक चंपावत
04	अजय मीना
05	अनेक सिंह
06	अंकित कुमार बोथरा
07	बलदेव सिंह मान
08	भीका सिंह
09	चौथाराम
10	चित्रेश
11	दानाराम
12	देवेन्द्र कुमार मीणा
13	धर्मेन्द्र सिंह यादव
14	दिनेश चन्द सैनी
15	डॉली सिंह
16	हनुमान सारण
17	हरिनारायण बैरवा
18	हरीश कुमार लेखाला
19	हरकंवर माली
20	हिमांशु पारीक
21	ज्योत्सना पुरोहित
22	कमल चौधरी
23	केशर देव काछवाल
24	खेमचन्द गुर्जर
25	खेताराम
26	किरण चौधरी
27	किस्मत खींची
28	कृष्णा टांडी
29	कुलदीप सिंह राठौड
30	महावीर
31	महिपाल सिंह
32	मैना

रोल नम्बर	परीक्षार्थी का नाम
33	मंजु
34	मंयक कुमार गौड
35	मोहित कुमार फोफलिया
36	मुकेश शर्मा
37	मुकेशी मीणा
38	नादान कुमार बिलौनिया
39	नरेन्द्र चौधरी
40	नरपत सिंह
41	निर्मला चौधरी
42	ओम प्रकाश
43	प्रदीप छीपा
44	प्रेम सिंह चौधरी
45	रजनी मीणा
46	राजवीर
47	रामकेश मीणा
48	साक्षी जैन
49	शक्ति सिंह चारण
50	सिमरन शेखावत
51	सुधेश कुमार
52	सुनील कुमार आर्य
53	विवेक कुमार मीणा

परीक्षा कार्यक्रम


दिनांक	समय	प्रश्न पत्र	प्रश्न पत्र विषय
21.01.2025	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	पहला	प्रशासन का राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश एवं प्रबंध के सिद्धांत
22.01.2025	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	दूसरा	सेवा नियम, वित्तीय एवं लेखा नियम तथा कार्यालय क्रियाविधि
23.01.2025	प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक	तीसरा	सूचना प्रौद्योगिकी

परीक्षा केन्द्र : राजस्थान राज्य सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान (राइसेम), जयपुर।

परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :-

- 1 प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा-कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जायेगा।
- 2 परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 3 Bare Act/Manual के अतिरिक्त अन्य कोई अनुचित सामग्री परीक्षा-कक्ष में अनुमत नहीं होगी।
- 4 व्याख्याओं सहित अधिनियमों, मोनोग्राफ एवं नियमावलियों से सम्बन्धित प्रतियाँ परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 5 परीक्षार्थी द्वारा किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग वर्जित है तथा दण्डनीय है। परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व बैग वर्जित है।
- 6 परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मद्यपान चाय व पान आदि का प्रयोग अनुमत नहीं है।
- 7 परीक्षा-कक्ष में बैठने के दौरान परीक्षार्थियों के बीच उचित दूरी बनाए रखनी होगी।


- 8 परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस पास के स्थान को भली भांति देख ले कि वहाँ कोई पुस्तक, पर्चा, अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि आस पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह परीक्षा निरीक्षक को सूचित करें अन्यथा इस संबंध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।
- 9 परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रों की नकल न करेगा और न ही अपने पत्रों की नकल करने देगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को नियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
- 10 परीक्षार्थी प्रत्येक विषय की परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक में पूर्ण इन्द्राज कर अपने हस्ताक्षर करें।
- 11 परीक्षा-कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका परीक्षा निरीक्षक को सम्भला दें, तत्पश्चात परीक्षा निरीक्षक से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़े।
- 12 परीक्षा अधीक्षक/निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 के नियम 15 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।



(डॉ. मीनाक्षी खंगारोत)
एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

क्रमांक : F11(18)/RIPA/Exam/FC/Coop.Sub.Ser./II/2024/19046-52 दिनांक : ...9/01/2025
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान (राइसेम), 10-बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि कृपया उक्त प्रशिक्षु अधिकारियों को रोल नम्बर तथा परीक्षा कार्यक्रम से अवगत कराने का श्रम करावें तथा परीक्षा आयोजन संबंधी व्यवस्थाएं/तैयारियाँ (परीक्षा अधीक्षक/निरीक्षक की ड्यूटी लगाने, परीक्षार्थियों हेतु बैठक व्यवस्था आदि) भी अपने स्तर पर कराने का श्रम करावें। परीक्षा प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं अधिकृत प्रतिनिधि को व्यक्तिशः दिनांक 20.01.2025 को रीपा, मुख्यालय, जयपुर, के परीक्षा-शाखा से प्राप्त करने हेतु निर्देशित करावें।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, महानिदेशक एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
3. निजी सहायक ग्रेड-II, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, एफ.सी. सैल, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
6. रक्षित पत्रावली।



एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)